क्रम-संख्या--678

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1--खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 25 अक्तूबर, 1978
कार्तिक 3, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग--1

संख्या 2793/सत्रह-वि0-1--103-77
लखनऊ, 25 अक्तूबर, 1978

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1978 पर दिनांक 23 अक्तूबर, 1978 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, सन् 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अधिनियम, 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1978]
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 को अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अधिनियम, 1978, कहा जायगा।

सं0 प्रा0 ऐक्ट सं0 28, सन् 1947 में नई धारा 2-क का बढ़ाया जाना

2--संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

किसी मजदूर की पदच्युति आदि को औद्योगिक झगड़ा समझा जायगा।

"2-क--जहां कोई मालिक किसी एक मजदूर की सेवोन्मुक्ति, पदच्युति, छटनी या अन्य प्रकार से सेवा-समाप्ति करता है, वहां उस मजदूर और उसके मालिक के बीच ऐसी सेवोन्मुक्ति, पदच्युति, छंटनी या सेवा-समाप्ति से सम्बद्ध या उत्पन्न होने वाले किसी झगड़ा या मतभेद को औद्योगिक झगड़ा समझा जायगा भले ही कोई अन्य मजदूर या कोई मजदूर संघ उस झगड़े में पक्षकार न हो।"

धारा 4-ङ का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 4-ङ में--

(क) उपधारा (1) में, खण्ड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"(3-क) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश;";

(ख) उपधारा (3) में शब्द "अथवा स्टेट जुडीशियल सर्विस अथवा स्टेट लेबर सर्विस का सदस्य न हो या न रहा हो" के स्थान पर शब्द "अथवा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा अथवा स्टेट लेबर सर्विस का सदस्य न हो या न रहा हो, अथवा जो स्टेट सिविल सर्विस (एक्जीक्यूटिव ब्रांच) का ऐसा सदस्य न हो या न रहा हो जिसे राज्य के श्रम विभाग में कम से कम तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव हो" रख दिए जायेंगे।

धारा 6 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"(2-क) किसी मजदूर की सेवोन्मुक्ति या पदच्युति से सम्बन्धित औद्योगिक झगड़े के पंच-निर्णय में सेवोन्मुक्ति या पदच्युति को अपास्त करने का और मजदूर को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, यदि कोई हों, जिसे पंच-निर्णय देने वाला प्राधिकारी उचित समझे, बहाल करने का या मजदूर को ऐसा अन्य अनुतोष दिये जाने का जिसमें सेवोन्मुक्ति या पदच्युति के बजाय मामले की परिस्थितियों की अपेक्षानुसार कोई हल्का दण्ड देना सम्मिलित है, निदेश दिया जा सकता है।"

धारा 6-छ का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 6-छ में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"(1) राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा उसमें उल्लिखित कारणों से, किसी कार्यवाही को,--

(1) किसी श्रम न्यायालय से वापस ले सकती है और उसे निस्तारणार्थ किसी अन्य श्रम न्यायालय या किसी न्यायाधिकरण को संक्रामित कर सकती है;

(2) किसी न्यायाधिकरण से वापस ले सकती है और उसे निस्तारणार्थ किसी अन्य न्यायाधिकरण को या यदि झगड़ा श्रम न्यायालय की अधिकारिता में हो तो किसी श्रम न्यायालय को संक्रामित कर सकती है, और वह श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण जिसे कार्यवाही इस प्रकार संक्रामित की जाय, संक्रामण आज्ञा में उल्लिखित किसी विशेष निदेश के अधीन रहते हुए, या तो नये सिरे से या उस चरण से जिस पर कार्यवाही इस प्रकार संक्रामित की गई थी, कार्यवाही कर सकता है।"

नई धारा 14-क का बढ़ाया जाना

6--मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"14-क--कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे निपटारा या पंच-निर्णय के, जो इस अधिनियम के अधीन उस पर आबद्धकर है, किसी निबन्धन का उल्लंघन करता है,

पंच-निर्णय के निबन्धन के उल्लंघन के लिये शास्ति

ऐसी अवधि के लिये जो छः मास तक हो सकती है कारावास से, या जुर्माना से, या दोनों से और यदि उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त जुर्माना से दण्डनीय होगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् उल्लंघन जारी रहे, दो सौ रुपये तक हो सकता है, और अपराध पर विचार करने वाला न्यायालय, यदि वह अपराधी पर जुर्माना करता है, यह निदेश दे सकता है कि उससे वसूल किया गया सम्पूर्ण जुर्माना या उसका कोई भाग प्रतिकर के रूप में उस व्यक्ति को दिया जायगा जिसे उसकी राय में ऐसे उल्लंघन से क्षति पहुंची हो।"

संक्रमणकालीन उपबन्ध

7--औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 के अधीन किसी निर्देश को, जो उक्त अधिनियम की धारा 2-क में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद से उत्पन्न हो और इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को विचाराधीन हो, इस अधिनियम द्वारा बढ़ायी गई मूल अधिनियम की धारा 2-क में निर्दिष्ट औद्योगिक झगड़े से उत्पन्न मूल अधिनियम की धारा 4-ट के अधीन किया गया निर्देश समझा जायगा, मानों उक्त धारा 2-क के उपबन्ध सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त थे, और किसी ऐसे निर्देश को मूल अधिनियम के अधीन नियुक्त, यथास्थिति, श्रम न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा निस्तारण के लिए मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन वापस लिया जा सकता है और संक्रमित किया जा सकता है।

आज्ञा से,

वी० आर० पी० सिंघल,

विशेष सचिव।

No. 2793(2)/XVII-V-1—103-77

Dated Lucknow, October 25, 1978

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Audyogik Jhagara (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 34 of 1978), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on October 23, 1978:

THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL DISPUTES (AMENDMENT) ACT, 1978

[U. P. Act No. 34 of 1978]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

further to amend the U. P. Industrial Disputes Act, 1947

It is hereby enacted in the Twenty-ninth Year of Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Industrial Disputes (Amendment) Act, 1978. Short title.

2. *After* section 2 of the U. P. Industrial Disputes Act, 1947, hereinafter referred to as the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :— Insertion of new section 2-A in U.P. Act no. 28 of 1947.

"2-A. Where any employer discharges, dismisses, retrenches or otherwise terminates the services of an individual workman any dispute or difference between that workman and his employer connected with or arising out of such discharge, dismissal, retrenchment or termination shall be deemed to be an industrial dispute notwithstanding that no other workman nor any union of workmen is a party to the dispute."

Dismissal, etc., of an individual workman to be deemed to be an industrial dispute.

3. In section 4-E of the principal Act,— Amendment of section 4-E.

(*a*) in sub-section (1), *after* clause (iii), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(iii-A) the Labour Commissioner, Uttar Pradesh ;" ;

(*b*) in sub-section (3), *for* the words "or the State Judicial Service, or the State Labour Service" the words "or the Uttar Pradesh Nyayik Sewa or the State Labour Service or who is not or who has not been such member of the State Civil Service (Executive Branch) as has experience of working for at least three years in the Labour Department of the State" shall be *substituted*.

4. In section 6 of the principal Act, *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely :— Amendment of section 6.

"(2-A) An award in an industrial dispute relating to the discharge or dismissal of a workman may direct the setting aside of the discharge or dismissal and reinstatement of the workman on such terms and conditions if any, as the authority making the award may think fit, or granting such other relief to the workman, including the substitution of any lesser punishment for discharge or dismissal, as the circumstances of the case may require."

5. In section 6-G of the principal Act, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :— Amendment of section 6-G.

"(1) The State Government may by order in writing for reasons to be recorded withdraw and transfer a preceeding from—

(i) one Labour Court to another Labour Court or any Tribunal ;

(ii) one Tribunal, to another Tribunal or to a Labour Court, if the dispute is within the jurisdiction of the Labour Court, for the disposal of the proceeding and the Labour Court or Tribunal to which the proceeding is so transferred may, subject to any special directions in the order of transfer, proceed either *de novo* or from the stage at which the proceeding was so transferred."

Insertion of new section 4-A.

6. *After* section 14 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :—

Penalty for breach of term of award.

"14-A. Any person who commits a breach of any term of any settlement or award, which is binding on him under this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine, or with both, and where the breach is a continuing one, with further fine which may extend to two hundred rupees for every day during which the breach continues after the conviction for the first; and the court trying the offence, if it fines the offender, may direct that the whole or any part of the fine realised from him shall be paid by way of compensation, to any person who, in its opinion has been injured by such breach."

Transitory provision.

7. A reference made under section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, arising out of an industrial dispute referred to in section 2-A of that Act and pending on the date of commencement of this Act shall be deemed to be a reference made under section 4-K of the principal Act, arising out of an industrial dispute referred to in section 2-A of the principal Act as inserted by this Act as if the provisions of that section were in force at all material times and any such reference may be withdrawn and transferred under the provisions of the principal Act for disposal by a Labour Court or Tribunal, as the case may be, appointed under the principal Act.

By order,
B. R. P. SINGHAL,
Vishesh Sachiv.

पी० ए० यू० पी०—ए० पी० 291 सा० (विधा०)—25-10-78—(2508)—1978—650 (मे०)।